UPSI010081282025

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थित : आशीष जैन (उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या–58/2025

CIS No.58/2025

1– श्रीमती ब्रजरानी उम्र 65 वर्ष पत्नी सुरेश पुत्री सुखदेव

2– सुरेशचन्द्र उम्र 70 वर्ष पुत्र महादेव

सर्व निवासीगण ग्राम जंगलीनाथ मजरा ताहिपुर परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर। वादीगण/अपीलान्ट।

बनाम

मंजू देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी बेवा रमेश निवासी ताहिपुर परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर, वारिदहाल पता ग्राम निघासन परगना व तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी (उ०प्र०) विपक्षी।

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील अर्न्तगत 96(2)सी.पी.सी. वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11.11.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जो कि अवर न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत बाजदायर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 निरस्त किया गया है।

संक्षेप में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का0सं0 5क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.के अर्न्तगत मय शपथपत्र 6ग2 के अनुसार अभिकथन इस प्रकार हैं कि वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादिनी ने मंसूखी बैनामा का वाद दिनांक 30.4.98 को दीवानी बाद संख्या 222/99 तारीख फैसला 22.04.08 योजित किया था। जो कि वादीगण ने मृतक महादेव से जरिये बैनामा गाटा संख्या 568 रकबा 1.068 हे० व रकबा 1.772 है० का दिनांक 23.8.97 को रजिस्ट्री प्राप्त किया था तथा काबिज है। प्रतिवादिनी बहुत चालाक व फरेबी महिला होने के नाते न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर वाद निस्तारित कराकर बैनामा निरस्त करवा दिया। वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री आर. के. वर्मा को नियुक्त किया, परंतु उन्होंने वादिनी बृजरानी को न्यायालय में हाजिर न करके वकालतनामा किसी अन्य

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.08.07 13:22:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP.

महिला का लगाकर पैरवी की, क्योंकि वादिनी बृजरानी पढ़ी लिखी नहीं है और न ही हस्ताक्षर बनाती है, अंगूठा लगाती है इसीलिए वादिनी की गलती क्षमा योग्य है। वादी सुरेश चंद्र को भी अधिवक्ता श्री आर. के. वर्मा द्वारा न्यायालय में हाजिर नहीं किया गया। वादीगण के अधिवक्ता से प्रतिवादिनी ने सांठगांठ करके वाद निस्तारित करवाया है। जबकि वादीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 10.8.05 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 जा० दी० के तहत दिया गया, जिसका निस्तारण नहीं किया गया। जिस पर वादीगण के अधिवक्ता ने व प्रतिवादिनी के अधिवक्ता ने आपत्ति भी दाखिल नहीं की और न ही निस्तारित हुआ और वाद निस्तारित कर दिया गया। वादीगण का वाद बखूबी वादीगण के पक्ष में है, कथित बैनामा प्रतिफल देकर किया गया जो प्रभावी व मान्य है, किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं है। वादीगण बिना भेदभाव व निष्पक्ष रूप से वाद गुण–दोष के आधार पर निर्णीत कराना चाहते हैं। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब दावा तक दाखिल नहीं किया जो वादीगण के साथ साजिश थी। ऐसी परिस्थिति में न्यायिक ज्ञान न होने की वजह से यह वाद एकपक्षीय निर्णीत हुआ है। वादीगण के अधिवक्ता ने यह नहीं बताया कि वाद समाप्त हो गया जब दिनांक 18.12.12 को प्रतिवादिनी ने गांव में आकर कहा कि मुकदमा जीत गई है तो वादीगण हतप्रभ रह गए और पुनः श्री आर. के. वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने एक नकल दिनांक 19.12.12 को दी, जिसे उसने दूसरे अधिवक्ता महोदय को दिया था तब मालूम हुआ कि मुकदमा उसके खिलाफ है। वादीगण ने तब दिनांक 20.12.12 को दूसरे अधिवक्ता श्री राजेश सिंह एडवोकेट से पत्रावली का मुआइना करवाया तो समस्त तथ्य अवगत हुए। वादीगण की गलती अज्ञानता व न्यायिक कार्य की जानकारी न होने से हुई है जो क्षम्य है। वादीगण पूर्ण आस्था के साथ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं ताकि पूर्व अधिवक्ता आर.के. वर्मा द्वारा की गयी गलत पैरवी व अपना पक्ष नहीं रखने के लिए वादीगण को दोषी न ठहराकर वाद गुण–दोष के आधार पर निस्तारित हो सके। उक्त आधार पर बाजदायर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नि0 13 जा०दी० को स्वीकार करके वाद मूल वाद पर संस्थित करके गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण मंजू देवी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०–25ग2 आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि महादेव के दो पुत्र सुरेश निरि व रमेश गिरि थे। रमेश गिरि की मृत्यु महादेव प्रसाद के जीवनकाल में ही हो गयी थी। इस कारण विपक्षीगण के जेठ व बृजरानी के पति सुरेश गिरि ने प्रतिवादिनी का अंश मार लेने की नियत से प्रतिवादिनी के ससुर

महादेव, जो कि पक्षाघात की बीमारी से पीडित थे, और उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गयी थी। जाल करके गाटा सं०–568/1.067 व 596/1.772 हे० का बैनामा पंजीकृत करा लिया। प्रार्थिनी को जानकारी बैनामा की होने पर प्रार्थिनी ने वाद सं०–222/98 दायरा दिनांक 30.11.98 फैसला 22.04.2008 न्यायालय सिविल जज, (जू०डि०) सीतापुर के यहाँ योजित किया तथा उक्त बाद में बृजरानी व महादेव को न्यायालय द्वारा सूचना दी गयी जिस पर स्वयं बृजरानी न्यायालय में उपस्थित हुई और स्वयं वकालतनामा दाखिल किया। जिस हेतु न्यायालय की पत्रावली पर बृजरानी की उपस्थित है। बाद में महादेव ने जब गलत बयान करने से इन्कार कर दिया तब बृजरानी व उसके पति सुरेश गिरि को यह आभास हुआ कि उसके द्वारा किये गये जाल का पर्दाफास हो जायेगा किन्तु प्रतिवादी ने प्रतिवाद न करने की दशा में बाद एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया। प्रार्थना पत्र में वर्णित यह तथ्य नितान्त असत्य व निराधार है कि प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने जाली व फर्जी किसी अन्य औरत को खड़ा करके हस्ताक्षर करा लिया है। यदि ऐसा था तो वादिनी को अधिवक्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करनी थी और कार्यवाही के पश्चात प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनना था। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य असत्य और निराधार है। महादेव की मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त आराजी का जरिये प.क. 11 लेखपाल द्वारा वादिनी व आपत्तिकर्तिनी व गंगापति के नाम भूमि अंकित कराई और गंगापति की मृत्यु के पश्चात फर्जी वसीयत बनाकर अपने पुत्रों के साथ भूमि का इंद्राज कराया। जिसकी जानकारी होने पर आपत्तिकर्तिनी ने एक बाद घोषणात्मक न्यायालय उप जिलाधिकारी लहरपुर के न्यायालय में अंतर्गत धारा 229 बी176 ज०वि० अधिनियम का योजित किया। जिसमें प्रार्थीगण मय पुत्रों के पक्षकार थे। उक्त वाद दिनांक 3.6.2010 को योजित हुआ था जिसमें पक्षकार हाजिर हो गए थे। उक्त वाद में संपूर्ण तथ्य प्रदर्शित थे। यह कहना कि 20.12.2012 को वाद की जानकारी हुई नितांत असत्य व भ्रामक है। कथित दिनांक को आपत्तिकर्तिनी गांव नहीं गई थी। सत्य कथनों पर वाद योजित किया गया है जो किसी भी दशा में पोषणीय नहीं है क्योंकि विलंब का प्रत्येक दिन का विवरण आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा०दी० सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त प्रार्थनापत्र का0सं05क1 अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रकीर्ण दीवानी अपील योजित की गयी है।

वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अपीलीय आधार में कथन किया गया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बाजदायर प्रार्थना पत्र मय धारा–5 मियाद अधिनियम एकपक्षीय निर्णय निरस्त कराने हेतु दायर किया था। अपीलान्ट के विरुद्ध विपक्षी/ रेस्पाडेन्ट ने बैनामा मंसूखी का वाद दिनांक 30.04.1998 को दी०वाद०सं०–222/99 तारीख फैसला दिनांक 22.04.2008 योजित किया था। वादीगण ने मृतक महादेव से जरिए बैनामा गाटा संख्या 568 रकबा 1.068 हे0 व रकबा 1.772 हे० का दिनांक 23.08.97 को रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किया था तब से काबिज है। प्रतिवादिनी/ रेस्पाडेन्ट बहुत चालाक व फरेबी महिला होने के नाते न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर वाद निस्तारित करवाकर बैनाम निरस्त करवा लिया है। वादीगण/अपीलान्ट ने अधिवक्ता श्री आर०के० वर्मा को नियुक्त किया था परन्तु अधिवक्ता महोदय द्वारा समुचित पैरवी न करके विधिक त्रुटि की है जिससे अपीलान्ट की गलती क्षमा योग्य है। अपीलान्ट सुरेशचन्द्र के अधिवक्ता आर०के० वर्मा द्वारा न्यायालय में हाजिर नही किया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता से सांठ गाठ करके वाद निस्तारित करवाया है। जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 10.08.2005 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा०दी० के तहत दिया था जिसका निस्तारण नहीं किया गया था जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आपत्ति भी दाखिल नही की थी और न ही निस्तारित हुआ था और वाद एकपक्षीय निस्तारित कर दिया गया। अपीलान्ट का वाद बखूबी अपीलान्ट के पक्ष में है। कथित बैनामा प्रतिफल देकर किया गया है जो प्रभावी व मान्य है किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नही है तथा वर्तमान अपील अन्दर मियाद है जो स्वीकार होने योग्य है। अपीलान्ट वाद को बिना किसी भेदभाव व निष्पक्ष रूप से गुण दोष के आधार पर निर्णित कराना चाहते है। अपीलान्ट के पूर्व अधिवक्ता ने कागजात न पेश करके विधिक त्रुटि की है। जो अपीलान्ट के साथ साजिश है। अपीलान्ट का मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन न करने में अवर न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि किया है तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त करके वैधानिक त्रुटि की है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2025 को अपास्त करने की याचना की गयी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया एवं तलबशुदा पत्रावली पर उपलब्ध अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 11.11.2025 का सम्यक् परिशीलन किया गया।

अवर न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त मूल दीवानी वाद सं०222/1998 वादिनी मंजू देवी द्वारा वास्ते

मंसूखी बैनामा विरुद्ध प्रतिवादीगण बृजरानी आदि संस्थित किया गया था। अवर न्यायालय में उक्त मूल वाद मंजू देवी बनाम बृजरानी आदि में दिनांक–03.07.1998 को प्रतिवादी सं०2 उपस्थित हुई तथा दिनांक 11.11.1998 को प्रतिवादी सं०–1 उपस्थित हुई। तदुपरान्त निर्णय दिनांक 22.04.2008 मंजू देवी (वादिनी) के पक्ष में एकपक्षीय रूप से निर्णीत किया गया था। अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र 5क1 अर्न्तगत आदेश 9 नियम 13 सी. पी.सी. प्रस्तुत कर मुख्य आधार लिया गया है कि उनके अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अवर न्यायालय में हाजिर न करके वकालतनामा अन्य महिला का लगाकर पैरवी की गयी थी। अपीलार्थीगण/आवेदकगण पढ़ी–लिखी नहीं है अंगूठा लगाती है इसलिए उसकी गलती क्षमा योग्य है तथा न्यायिक ज्ञान न होने वजह से उक्त वाद एकपक्षीय निर्णीत हुआ है। अपीलार्थीगण/आवेदकगण को वाद समाप्त होने की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण/आवेदकगण द्वारा कथन है कि दिनांक 18. 12.2012 को जब विपक्षी मंजूदेवी द्वारा गांव आकर कथन किया कि वह मुकदमा जीत गयी है तब दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त कर अपीलार्थीगण/आवेदकगण को समस्त तथ्य ज्ञात हुए। अपीलार्थीगण/आवेदकगण का कथन है कि उसकी गलती अज्ञानता से न्यायिक कार्य की जानकारी न होने से हुई है। जबकि दूसरी ओर उत्तरदाता/विपक्षीगण द्वारा कथन है कि उक्त वाद में बृजरानी न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुई एवं अपना वकालतनामा दाखिल किया था। पत्रावली पर बृजरानी की उपस्थिति है। मूलवाद के प्रकीर्ण वाद की पत्रावली के आदेशपत्रक से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण मूलवाद में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये थे। इस प्रकार इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थीगण/आवेदकगण को प्रस्तुत मूलवाद की जानकारी नहीं थी। जहाँ तक प्रश्न एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित होने का है यदि बैनामा निरस्त हुआ था ऐसी परिस्थिति में भी स्वाभाविक रूप से अपीलार्थीगण/आवेदकगण को निर्णय दिनांकित 22.04.2008 की जानकारी थी। अपीलार्थीगण/आवेदकगण द्वारा लिया गया आधार कि वे पढ़े–लिखे नहीं है तथा न्यायिक कार्य की जानकारी नहीं है, तर्कसंगत व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/आवेदकगण का धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी आदेश दिनांकित–28.10.2025 भी निरस्त किया जा चुका है। तद्नुसार न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र कागज सं० 5क1 निरस्त किये जाने योग्य है,जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपील में

लिए गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय ने कोई अविधिकता, अनियमितता, अनौचित्यता एवं क्षेत्राधिकार सम्बंधी त्रुटि कारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी अपील सं0 58/2025 निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट संख्या 4, सीतापुर द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 08/2013 में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.11.2025 की पुष्टि की जाती है।

अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के साथ इस निर्णय की एक प्रतिलिपि अविलम्ब प्रेषित की जाय। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाय।

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

दिनांक : 05.08.2026

J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

दिनांक : 05.08.2026

अजीत.

J.O.Code-UP -2024